कृषि भूमि का विनिमय–पत्र

कृषि भूमि के विनिमय का यह विलेख आज दिनांक .... को अ पुत्र श्री व आयु .... निवासी .... जो इस विलेख में प्रथम पक्षकार है ग पुत्र श्री घ आयु .... एवं निवासी .... जो इस विलेख में द्वितीय पक्षकार के बीच .... नगर में निष्पादित किया गया है।

चूँकि प्रथम पक्ष के स्वामित्व एवं कब्जे की कृषि भूमि खसरा संख्या .... रकबा .... जो राजस्व ग्राम .... तहसील .... जिला .... में स्थित है। जमाबन्दी के अनुसार भूभि की किस्म .... है।

इसी प्रकार द्वितीय पक्ष के स्वामित्व एवं कब्जे की कृषि भूमि खसरा नम्बर .... रकबा .... जो राजस्व ग्राम .... तहसील .... जिला .... में स्थित है। जमाबन्दी के अनुसार भूभि की किस्म .... है।

हम दोनों पक्षकारान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानानुसार तहसीलदार/भूमिधारी/की विधिवत अनुमति प्राप्त कर भूमि का परस्पर विनिमय करने के इच्छुक हैं।

अतएव यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि :–

1. उक्त विलेख में अंकित पक्षकारों ने आपसी विनिमय में एक दूसरे की भूमि की अदला–बदली कर ली है जो सभी प्रकार के भारों एवं अभिभारों से मुक्त है।
2. एतदद्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त दोनों पक्षकार विनिमय द्वारा अन्तरिम की गई सम्पत्तियों के पूर्णरूपेण स्वामी एवं अधिपति होंगे तथा कोई पक्षकार एक दूसरे के लिये बाधक न होगा। ?

अतः इस विलेख के दोनो पक्षकार साक्ष्य स्वरूप निम्नांकित साक्षियों के समक्ष निष्पादित कर अपने अपने हस्ताक्षरों से हस्ताक्षरित करते है।

साक्षीगण (मय स्पष्ट नाम व पते)

1..........................

2.........................

(1) हस्ताक्षर,
प्रथम पक्षकार

(2) हस्ताक्षर,
द्वितीय पक्षकार